कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्याः 359 / XXVI–(2017–2018) दिनांक नई टिहरी जून 23 , 2018

प्रेषित,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई द्वितीय,
नई टिहरी।

विषय– विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35.00 ये घेना तक क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के संबंध में/विकास खण्ड जौनपुर के रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल के किमी0 15.00 से रगड़गांव तक मोटर मार्ग के संबध मे।

उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या 96/1 दिनांकः 02 जून 2018 एंव पत्र संख्याः 96/रजि0का दिनांकः 02 जून 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

क्त दोनो पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि जो अलग–अलग खसरा नम्बर के रूप में छोटे–छोटे टूकडों मे बिखरी हुई है। ग्राम घेना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नही है। तथा रगड़गांव में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नही है। जाचं आख्या की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिला कार्यालय
आवक दिनांक
15/6/18
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

oc/ee clerk

(26)

प्रेषक,
तहसीलदार,
धनोल्टी, टिहरी गढवाल ।

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

सेवामें,

R.N.- 2200 /ERK

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल ।

पंजिका सं0-..13...दिनांक-..15-6-18

द्वारा :- उपजिलाधिकारी धनोल्टी

संख्या– 96 / रजि0का0 (जांच) 2018, दिनांक धनोल्टी, जून 02, 2018

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर–कुमाण्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 15.00 से रगडगांव तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 15.675 किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 9.887 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि ग्राम रगडगांव में नव निर्माण मोटर मार्ग वन भूमि कि0मी0 (15.657) के निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु अरक्षित वन वनपंचायत जिसका क्षेत्रफल 9.887 के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 19.774 हे0 अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि ग्राम रगडगांव में क्षति पूर्वक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि जो अलग–अलग खसरा नम्बर के रूप में छोटे–छोट टुकडों में बिखरी है के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक धनोल्टी से जांच करवाई गयी। राजस्व निरीक्षक ने अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि ग्राम रगडगांव में क्षतिपूरक हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नही है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में जांच आख्या महोदया की सेवामें सादर सम्प्रेषित।

भवदीय
तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढवाल

जिलाधिकारी महोदया की सेवामें तहसीलदार धनोल्टी की आख्या अग्रसारित

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल
08/06/18